

विषयः—हरियाणा सिविल सचिवालय में स्थानिक सहायक (आर०ए) के पद पर नियुक्ति बारे।

क्या:-

1. प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव/पी०ओ०एस०डी०/ओ०एस०डी०, मुख्यमंत्री, हरियाणा,
2. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
3. सभी सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप—सचिव/अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
4. सभी विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजि सचिव मंत्री/अधीक्षक/उप—अधीक्षक,
5. सभी शाखा प्रभारी, हरियाणा सिविल सचिवालय,

उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेगे?

2. विषयोक्त मामले में सूचित किया जाता है कि हरियाणा सिविल सचिवालय में स्थानिक सहायक के पद पर एक उपयुक्त सहायक को पदस्थ किया जाना है, इस पद पर जिम्मेदारिया निभाने के उपलक्ष्य में निम्नलिखित सुविधायें दी जायेगी:-

- क) निःशुल्क सरकारी रिहायश,
- ख) विशेष वेतन 80/- रुपये प्रति मास
- ग) बिजली पानी का खर्च 5 रुपये प्रतिदिन की सीमा तक,
- घ), सरकारी गाड़ी का प्रयोग /
- ड) साप्ताहिक अवकाश —एक दिन मंगलवार (*office working hour*)
- च) मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के परिपत्र क्रमांक 12/31/95-3 पी०एस०, दिनांक 1.4.1997 के अनुसार स्थानिक सहायक के निवास स्थान पर 2 महीने में 1500 लोकल काल (एस०टी०डी०) की सुविधा।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि हरियाणा सिविल सचिवालय के अधीनस्थ जो सहायक इस पद पर नियुक्त के इच्छुक हो, वे अपना आवेदन—पत्र उचित माध्यम से परिपत्र जारी होने के 10 दिन के अन्दर—अन्दर सचिवालय, स्थापना—शाखा में भिजवाना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

गुरु + सं.
अधीक्षक स्थापना ।

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

प्र. 06.21

सेवा में

1. प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव/पी०ओ०एस०डी०/ओ०एस०डी०, मुख्यमंत्री, हरियाणा।
2. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार।
3. सभी सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप—सचिव/अवर सचिव, हरियाणा सरकार।
4. सभी विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजि सचिव मंत्री/अधीक्षक/उप—अधीक्षक
5. सभी शाखा प्रभारी, हरियाणा सिविल सचिवालय।

(कृप्या अपने अधीन कार्यरत सभी सहायकों के नोटिस में ला देवे)।